4

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
287 / 2023	21.07.2023	23-12-2025

बुधराम पुत्र नारायण, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा —प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वलाव्हा
2. विद्यादेवी पत्नी घनश्याम, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा
3. कैलाशी पत्नी रामराज, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा
4. गणपत पुत्र रामराज, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा
5. लखपत पुत्र रामराज, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा
6. सम्पत पुत्र रामराज, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा
7. कैलाश पुत्र कन्हैया, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा
8. वकील पुत्र कन्हैया, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा
9. गोरया पुत्र कन्हैया, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा
10. घनश्याम पुत्र लटूर, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा
11. हाबूडी पत्नी लटूर, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 वलाव्हा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खाता संख्या 39 की भूमि ख0न0 143, 146, 192 कुल रकबा 0.76 है0 ग्राम बाढरामसर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है परन्तु खातेदारी के कॉलाम मे प्रार्थी का नाम बुधराम पुत्र रामनारायन दर्ज हो गया है परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम रामनारायण नही होकर नारायन है। खाता संख्या 104 की भूमि ख0न0 193 रकबा 0.44 है0, खाता संख्या 103 भूमि ख0न0 189 रकबा 0.43 है0, ग्राम बाढरामसर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है परन्तु खातेदारी के कॉलम मे प्रार्थी का नाम बुधराम पुत्र रामनारायण दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम रामनारायण नही होकर सही नाम नारायण है। इसी प्रकार खाता संख्या 9 भूमि ख0न0 16, 17, 18, 19, 20 कुल रकबा 3.41 है0 ग्राम बाढरामसर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है परन्तु खातेदारी के कॉलम मे प्रार्थी का नाम बुधराम पुत्र नारान दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम नारान नही होकर सही नाम नारायण है। प्रार्थी की अन्य ग्राम वैरूण्डा तहसील सपोटरा मे स्थित भूमि खाता संख्या 152, 171, 250, 255 मे प्रार्थी का सही रूप से नाम नारायण दर्ज है जो सही है। इसी प्रकार अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजों

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:37:44 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
सिटी (राज0)

मे प्रार्थी के पिता का सही नाम नारायण दर्ज है। इसलिए प्रार्थी के पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड मे नारायण होना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 39, 104, 189 ग्राम बाढरामसर तह0 तलावडा मे दर्ज भूमि मे पिता का नाम रामनारायण के स्थान पर नारायण एवं खाता संख्या 9 ग्राम बाढरामसर मे प्रार्थी के पिता का नाम नारान के स्थान पर नारायण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार तलावडा को दिये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 39, 104, 103, ग्राम वाढ रामसर, खाता संख्या 152 ग्राम बैरूण्डा फोटोकोपी आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक बुधराम प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण वावजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक भूअ/25/2022 दिनांक 17.11.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का हीरापुर की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्धान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्धान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी खाता संख्या 39, 103, 104 ग्राम बाढ रामसर मे आवेदक का नाम बुधराम पुत्र रामनारायण जाति मीना तथा रामसर के खाता संख्या 9 मे आवेदक का नाम बुधराम पुत्र नारान, मीना निवासी बाढ रामसर वर्तमान मे जमाबंदी मे दर्ज है। मौका पर्चा अनुसार आवेदक बुधराम पुत्र नारायण, मीना निवासी बाढ रामसर फौत हो चुका है तथा रिकॉर्ड मे दर्ज बुधराम पुत्र रामनारायण तथा बुधराम पुत्र नारान जाति मीना को एक व्यक्ति होना बताया है तथा उनका सही नाम बुधराम पुत्र नारायण होना ही अवगत कराया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070–73 खाता 39 ग्राम बाढरामसर तह0 तलावडा मे प्रार्थी का नाम बुधराम पुत्र रामनारायण दर्ज है। प्रार्थी द्वारा [illegible] बैंक ऑफ इंडिया शाखा गंगापुर सिटी से बैंक ऋण प्राप्त किया हुआ है। [illegible] प्रकार जमाबंदी सवंत 2071–74 खाता संख्या 9 ग्राम रामसर से [illegible] का नाम बुधराम पुत्र नारान हिस्सा 1/2 दर्ज है और प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है। भूमि वर्तमान मे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गंगापुर सिटी के नाम रहन दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता का रामनारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:37:44 IST
Reason: Self Attested

खण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

एवं नारान के नाम से बैंक से ऋण प्राप्त किया हुआ है तथा भूमि वर्तमान मे बैक के नाम रहन दर्ज है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:37:44 IST
Reason: SelfAttested